SHODHASAMHITA
शोधसंहिता
ISSN 2277-7067
UGC CARE Group 1

शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा के ज्ञान स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।

डॉ. डिगर सिंह फर्स्वाण
सह–प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड 263139

डॉ. गोपाल सिंह गौनिया
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड 263139

नीरज कांडपाल
शोध छात्र शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड 263139

सारांशः

एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सभी छात्र शामिल हों, और उनका स्वागत हो और उन्हें सीखने में सहायता मिले, चाहे वे कोई भी हों और उनकी योग्यताएँ या आवश्यकताएँ कुछ भी हों। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षण और पाठ्यक्रम, स्कूल भवन, कक्षाएँ, खेल के मैदान, परिवहन और शौचालय सभी स्तरों पर सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हों। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रख कर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। समावेशी शिक्षा के सफल संचालन के लिए स्कूल स्तर पर, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, इमारतों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए और छात्रों को सुलभ शिक्षण सामग्री मिलनी चाहिए। सामुदायिक स्तर पर, कलंक और भेदभाव से निपटा जाना चाहिए और व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के लाभ के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के साथ कानूनों और नीतियों को संरेखित करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से डेटा एकत्र और विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चों तक प्रभावी सेवाएँ पहुँचें।

समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय या अल्पकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ शिक्षाविद जैसे सोचते हैं कि समावेशी शिक्षा अपने बालकों हेतु सामान्य स्कूल में स्थापित करनी है। जहाँ उन्हें विशिष्ट शिक्षण में सहायता तथा सुविधाएँ दी जाती हैं। इस शोध पत्र में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कर रहे शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता तथा शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

जब तक शिक्षक–शिक्षिकाओं को समावेशी शिक्षा का समुचित ज्ञान नहीं कराया जायेगा तब तक शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती है। अध्ययन हेतु जनसँख्या का चयन उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल में अवस्थित शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों के

रूप में किया गया है, जिसमें से न्यादर्श स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 शहरी एवं 50 ग्रामीण अलग–अलग प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक–शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन तथा शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। समावेशी शिक्षा के दो आयामों का आंकलन करने के उद्देश्य से स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है तथा परीक्षणोंपरान्त प्राप्त आकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु माध्य, मानक–विचलन एवं टी–परीक्षण आदि की गणना की गई है। सांख्यिकीय विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता तथा समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की दक्षता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इस समस्या से पुरुष एवं महिला शिक्षक लगभग समान रूप से प्रभावित थे।

शब्द कुंजी: समावेशी शिक्षा, ज्ञान, प्राथमिक शिक्षा, शहरी विद्यालय, ग्रामीण विद्यालय तथा विशिष्ट शिक्षण्ज्ञं

प्रस्तावना:

समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को स्कूल जाने, सीखने और उन कौशलों को विकसित करने का उचित अवसर देने का सबसे प्रभावी तरीका है जिनकी उन्हें सफलता के लिए आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चे एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में। इसका अर्थ है उन समूहों के लिए वास्तविक सीखने के अवसर जिन्हें पारंपरिक रूप से बहिष्कृत किया गया है, न केवल विकलांग बच्चे, बल्कि अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले भी। समावेशी प्रणाली सभी पृष्ठभूमि के छात्रों द्वारा कक्षा में दिए जाने वाले अद्वितीय योगदान को महत्व देती है और सभी के लाभ के लिए विविध समूहों को एक साथ बढ़ने की अनुमति देती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर की जाँच की जाती है, तत्पश्चात् उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हों। समावेशी शिक्षा ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पायें। शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। शैक्षिक क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों व दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र को विकसित करना होगा। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाना होगा।

चूँकि किसी भी स्तर पर शिक्षण–अधिगम कार्य हेतु शिक्षक में विषय ज्ञान के साथ–साथ वातावरण सम्बंधित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है तथा विगत कुछ वर्षो से समावेशी शिक्षा एक वैश्विक विषय बन चुका है तथा हमारे देश में भी केन्द्र से राज्य स्तर तक निरंतर इस पर बहुपक्षीय तथा बहुस्तरीय प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा जीवन में सीखने और अपने पैरों पर खड़े

होने का एक माध्यम है। आज के युग में माता–पिता बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उनके बच्चों को अच्छा भविष्य प्रदान करती है। वे जीवन में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी–जान से मेहनत करते हैं। लेकिन कई बच्चों को इसके लिए उचित समर्थन और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। चूँकि वे दिव्यांग हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा को जोड़ा गया है। समावेशी शिक्षा समानता की बजाय समता की बात करती है। समानता का मतलब है कि सभी के साथ उनके मतभेदों की परवाह किए बिना एक जैसा व्यवहार किया जाता है। जबकि इक्विटी का मतलब है कि हर किसी को वह प्रदान किया जाता है जो उन्हें चाहिए, सफल होने के लिए या समान परिणाम प्राप्त करने के लिए।

शिक्षा का वह मॉडल जहां सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान की जाती हो। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की विशेष अधिगम आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी आवश्यकता का सम्मान करते हुए कक्षा–कक्ष शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करना है जिससे कि सामान्य छात्रों के अधिगम को सुचारू रखते हुए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

अध्ययन की सार्थकता:

शिक्षा को किसी मनुष्य के जीवन में सामान्य जीवन कौशलों के विकास के साथ–साथ समाज में हो रहे आधुनिकीकरण की समझ का विकास करते हुए सामाजिक परिवर्तनों एवं नवीन चुनौतियों को सहज भाव के साथ स्वीकार करते हुए एक अच्छे जीवन यापन एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने का सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा जाता रहा है किन्तु प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमताओं में विविधता सभी को एक समान शैक्षिक वातावरण में समावेशित कर पाना शिक्षण–अधिगम क्षेत्र की एक व्यापक एवं सार्वभौमिक चुनौती प्रस्तुत करती है। विशेषतः जब बात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की हो तो यह चुनौती असीमित सी होती प्रतीत होती है। इस प्रकार की शैक्षिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में विगत कुछ वर्षों से समावेशी शिक्षा को देखा जा रहा है जोकि प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनमें सामान्य एवं व्यावसायिक सभी तरह के संभावित कौशलों के विकास में अद्वितीय भूमिका निभा रही है। प्रत्येक शिक्षा की मुख्य धुरी के रूप में शिक्षक की ही कल्पना की जाती है। अतः समावेशी शिक्षा के सफल होने के लिए भी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा की आधारभूत समझ का होना अत्यंत आवश्यक है जिसकी सहायता से शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके एवं प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में उनका सहयोग किया जा सके।

अतः शोधकर्ता द्वारा कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता का तथा शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। जिससे कि समावेशी शिक्षा के संचालन में आने वाली सम्बंधित चुनौतियों की जानकारी प्राप्त हो सके और भविष्य की शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में एक सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य:

1– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता का का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का तुलनात्मक

अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं:

1– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

2– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की दक्षता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शोध समस्या का सीमांकन:

1– प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल तक सीमित किया गया है।

2– प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।

3– प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023–24 में कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है।

जनसँख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शोध अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

न्याद चयन

स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 शहरी एवं 50 ग्रामीण अलग–अलग प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक–शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया। शोध अध्ययन हेतु सभी विद्यालयों तथा शिक्षक–शिक्षिकाओं का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन माध्यम से किया गया है। प्रत्येक जिले से पुरुष शिक्षक–शिक्षिकाओं एवं महिला शिक्षकों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आंकड़ो का संग्रहण करने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया गया है:

1. समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

प्रदत्तों का संग्रहण

आंकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल जिले के प्राथमिक विद्यालयों एवं उनमें सेवारत शिक्षक–शिक्षिकाओं की सूची प्राप्त करने का प्रयास किया तत्पश्चात इन विद्यालयों से शोध कार्य हेतु प्रयुक्त आंकड़ों का संग्रहण किया गया।

सांख्यिकीय विधियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आंकड़ो के विश्लेशण एवं व्याख्या के लिए केन्द्रीय प्रवृति की मापों तथा टी–परीक्षण तकनीक का उपयोग किया गया है। टी–फलांक के आधार पर 0.05 पर सार्थकता स्तर की जांच की गयी है।

समावेशी शिक्षा का ज्ञान मापनी का निर्माण व मानकीकरणः

प्रश्नावली के निर्माण हेतु शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम विविध माध्यमों से समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का विस्तृत अध्ययन किया तथा विविधतापूर्ण ज्ञान के परीक्षण के उद्देश्य से तथ्यात्मक, बोधात्मक एवं व्यावहारिक प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास किया गया। चूँकि अध्ययन का परोक्ष उद्देश्य समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण प्रणाली को समझना भी था। अतः प्रश्नावली में कुछ सामान्य शिक्षण अभियोग्यता से सम्बंधित प्रश्नों का संकलन भी किया गया। उक्त कार्य में विषय विशेषज्ञों, प्राचीन एवं नवीन साहित्यों के साथ समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यान्वित दिशानिर्देशों का सहयोग भी लिया गया। विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों एवं उपरोक्त चरणों से प्राप्त संशोधनों को समाहित करते हुए समावेशी शिक्षा का ज्ञान मापनी का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्याः

शोध समस्या के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या, विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। इस अध्ययन में उत्तराखण्ड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालय एवं वहां पर कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता तथा समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

1– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता का का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सारणी–1

समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता का अध्ययन

समूह	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	टी	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	50	9.52	1.89	1.18	सार्थक अंतर नहीं
शहरी	50	9.94	1.62		

सारणी–1 में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता के तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। सारिणी में प्रस्तुत आकड़ों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यहाँ पर टी का मान 1.18 प्राप्त हुआ। यद्यपि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता के माध्य एवं मानक विचलन में अंतर था तथापि यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए।

2– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सारणी–2

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का अध्ययन

समूह	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	टी	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	50	4.38	1.55	0.54	सार्थक अंतर नहीं

शहरी	50	4.22	1.97		

सारणी–2 में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता के तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। सारिणी में प्रस्तुत आकड़ों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की दक्षता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यहाँ पर टी का मान 0.54 प्राप्त हुआ। यद्यपि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की दक्षता के माध्य एवं मानक विचलन में अंतर था तथापि यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए।

शोध परिणाम

प्रस्तुत शोध समस्या का मुख्य उद्देश्य कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता का का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। आकड़ों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए–

1– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण शिक्षक लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

2– कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की दक्षता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यद्यपि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता के माध्य एवं मानक विचलन में अंतर था तथापि यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष:

अध्ययन से प्राप्त परिणाम वर्तमान परिदृश्य में समावेशी शिक्षा की संकल्पना को स्थापित करने के क्रम में सहयोगी हो सकते है तथा समावेशी शिक्षा के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसकी व्यावहारिक समझ के विकास की ओर भी विचार करने के लिए शिक्षा नियोजकों को प्रेरित किया जा सकता है। जब तक प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षक–शिक्षिकाओं को समावेशी शिक्षा से सम्बंधित शिक्षण अभियोग्यता तथा समावेशी शिक्षा से सम्बंधित सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग में दक्षता प्राप्त नहीं होगी तब तक समावेशी शिक्षा का सही रूप से क्रियान्वयन करना एवं शिक्षा में गुणवत्ता लाना संभव नहीं हो सकता है। शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी महिला एवं पुरुष शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण एवं विद्यालयी गतिविधियों में आवश्यक नवाचारों के अनुपालन द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण की संकल्पना को साकार किया जा सकता है क्योंकि विद्यालयों में समावेशी वातावरण निर्माण का प्रमुख घटक शिक्षक–शिक्षिकाएं ही होते है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों

के साथ–साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करते है। अतः समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षकों में आवश्यक योग्यता का विकास किया जाने पर भी विचार किया जा सकता है तथा प्राथमिक विद्यालयों में वैयक्तिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता तथा मानसिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था तथा इनके लिए आवश्यक शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था कर गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी एक साथ शिक्षण कार्य कराया जाता है।

समावेशी शिक्षा के सफल संचालन के लिए इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं को समावेशी शिक्षा के शिक्षण कार्य में प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में जैसे दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक अक्षमता वाले बच्चे, गामक दिव्यांगता, वाणी–विकार, बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता, अधिगम अक्षमता के साथ–साथ कई अन्य प्रकार के दिव्यांग बच्चे सम्मिलित होते हैं। इन बच्चों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है तथा इन उपकरणों के संचालन हेतु विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है जैसे– ब्रेल लिपि का ज्ञान, सुनने की मशीन को संचालित करने का ज्ञान आदि उपकरणों का। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था का सही ढंग से संचालित कर शिक्षण कार्य नहीं किया जाएगा तब तक समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में कुमाऊं मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक–शिक्षिकाएं सामान्य बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षित हैं। उनको समावेशी शिक्षा की केवल सामान्य जानकारी रहती है तथा उन शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्री या उपकरणों को संचालित करने का ज्ञान नहीं होता है। वर्तमान समय में कुमाऊं मंडल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के शिक्षण में प्रयुक्त सहायक उपकरणों का नितांत अभाव है। समावेशी शिक्षा के सफल संचालन हेतु प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक होगा तथा उनके लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा तभी समावेशी शिक्षा की कल्पना को साकार किया जा सकता है। सर्वप्रथम ऐसे बच्चों को जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक अक्षमता के कारण समाज तथा शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं उन्हें विद्यालयों में नामांकित करना प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए ऐसे बच्चों के माता–पिता को भी शिक्षा का महत्व बताकर उनको जागरूक किया जाना आवश्यक होगा एवं वर्तमान समय में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना भी आवश्यक होगा।

अतः प्रस्तुत शोध प्राथमिक शिक्षा में शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए समावेशी शिक्षा के द्वारा सभी बच्चों के लिए जिसमें सामान्य बच्चों तथा दिव्यांग बच्चे सम्मिलित हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक होगा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले सहायक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित कर उनको संचालित करने के लिए विशेष शिक्षकों की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। ऐसा करना समीचीन होगा क्योंकि देश और समाज का भविष्य इन्हीं बच्चों पर निर्भर है। जब तक इन बच्चों को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में नामांकित कर कर उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करते हुए उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है।

सन्दर्भ सूची:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) https:/www-mha-gov-in
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) https:/www-education-gov-in, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
एजुकेशन फॉर आलः (2016) टुवर्ड्स क्वालिटीविथ इक्विटी
देवी कुसुम, समावेशन शिक्षा में अध्यापकों के उत्तरदायित्व एवं भूमिकाः एक समीक्षाद्य
निमांटे दिता, समावेशी शिक्षा के लिए उनकी योग्यताओं पर शिक्षकों का परिप्रेक्ष्यद्य
कुमार विरेन्द्र, वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियांद्य
Farswan, D. S. (2023). National Education Policy 2020 and Teacher Education in India. Mukt Shabd Journal, 13(1), 770-782.
Farswan, D. S. (2023). NEP 2020 and inclusive education in India. JOURNAL OF XI' AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY 16(1), 581-591.
अग्रवाल, वी, पी. (2019). समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन.
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. (2023). समतामूलक और समावेशी शिक्षा की संस्कृति.
अमिनाभवी, विजयलक्ष्मी ए. (1996). ए स्टडी ऑफ अद्जुस्त्मेंतल एबिलिटी ऑफ फिसिकली डिसेबल्ड एण्ड एबल्ड स्टूडेंट्स.
अश्मान, ए. एण्ड एल्किन्स, जे. (2009). एदुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स डिसएबिलिटिस.
उतरांचल दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम. (2006) विद्यार्थी प्रवाह आरेखण एवं विश्लेषण. उतरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद डी. पी. ई. पी. –3 देहरादून.
एजुकेशन फॉर आलः (2016) टुवर्ड्स क्वालिटीविथ इक्विटी
काला, परसुराम (2006). वेरिएबल्स देट अफेक्ट टीचर्स एटिटयूड टूवर्ड्स डिसएबिलिटिस एंड इनक्लूसिव एजुकेशन इन मुंबई.